



DREAM
FOR NATION



DARE
TO SERVE



DELIVER
WITH INTEGRITY

DAILY CURRENT AFFAIRS HINDI FILE

BEST FOR UPSC | UP PCS EXAM

DATE : **AUGUST 7, 2026**



Comprehensive
Coverage



Exam-Focused
Analysis



Concept Clarity
& Insights



Practice MCQs
with Explanation



Daily Updates,
Better Results



CONTACT INFO:

+91 92896 33341 | +91 96679 33341



EMAIL ID:

info@sixsigmaias.com



WEB PAGE:

www.sixsigmaias.com



ADDRESS:

C-6, GROUND FLOOR, SECTOR 2,
NEAR SECTOR 15 METRO STATION, NOIDA – 201301, UTTAR PRADESH

Table of Contents

1. डीप-टेक आरडीआई फंड स्वीकृतियां और हितों के टकराव संबंधी चिंताएं	2
2. बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के बीच गुड समैरिटन (राह-वीर) योजना का कम उपयोग	4
3. लोकतांत्रिक पुलिस सुधारों के लिए केरल की "माई पुलिस स्टेशन" पहल	6
4. बायोगैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने 23,731 करोड़ रुपये की 'गोबरधन' (GOBARdhan) योजना को मंजूरी दी	7
5. एविएशन टर्बाइन फ्यूल में इथेनॉल सम्मिश्रण के दावों का खंडन: इथेनॉल और SAF के बीच अंतर	9
6. कैग (CAG) ऑडिट ने पश्चिम बंगाल धान खरीद में अनियमितताओं को चिह्नित किया	10
7. एससी/एसटी क्रीमी लेयर अपवर्जन पर संसदीय अधिकार: सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र का रुख	12
8. हिमाचल प्रदेश पुलिस में संस्थागत कलह और प्रशासनिक शासन के मुद्दे	13
9. हथकरघा क्षेत्र: भारत के वैश्विक विकास और आर्थिक विकास में विरासत को पिरोना	15
10. आरबीआई (RBI) नीतिगत रुख: मुद्रास्फीति के जोखिमों के खिलाफ वृद्धि प्राथमिकताओं का संतुलन	17
11. नवाचार का बीजिंग मॉडल: राज्य के नेतृत्व वाली तकनीकी प्रगति और औद्योगिक तालमेल	19
12. रामसर आर्द्रभूमि (Wetland) स्थलों के पास खनन गतिविधियों पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का प्रभाव ..	20



1. डीप-टेक आरडीआई फंड स्वीकृतियां और हितों के टकराव संबंधी चिंताएं

प्रमुख बिंदु एवं सारांश

- प्रारंभिक संवितरण को मंजूरी:** प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (TDB) की निवेश समिति ने नवनिर्मित अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI) फंड के तहत 22 निजी कंपनियों के लिए 2,192 करोड़ रुपये के रियायती ऋण (soft loans) को मंजूरी दी।
- हितों के टकराव के आरोप:** मीडिया जांच से खुलासा हुआ कि चयनित 22 में से 15 कंपनियों के वित्तीय या निवेश संबंध 12-सदस्यीय चयन पैनल के सात सदस्यों से हैं, जो कुल मंजूर फंड का 62% (1,377 करोड़ रुपये) है।

- **चयन पैनल का बचाव:** पैनल के सदस्यों ने पुष्टि की कि व्यक्तिगत और व्यावसायिक हितों का औपचारिक रूप से खुलासा किया गया था और मूल्यांकन दौर के दौरान जुड़े हुए निकायों से संबंधित चर्चाओं से उन्होंने खुद को अलग (recuse) कर लिया था।
- **गवर्नेंस गार्डरेल्स की मांग:** सांसदों और नीति विशेषज्ञों ने संभावित पूर्वाग्रह पर चिंता जताई और निजी उद्यमों में सार्वजनिक पूंजी लगाते समय कड़े सार्वजनिक जवाबदेही तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया।
- **कॉर्पस और प्रशासन:** आरडीआई फंड, वैधानिक अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) के तहत 1 लाख करोड़ रुपये के कुल कॉर्पस के साथ एक विशेष प्रयोजन कोष (Special Purpose Fund) के रूप में कार्य करता है, जो निजी आरएंडडी (R&D) के लिए कम लागत वाले, बिना गारंटी वाले ऋण प्रदान करता है।
- **रणनीतिक क्षेत्र पर ध्यान:** फंडिंग का लक्ष्य अंतरिक्ष विज्ञान, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, डिजिटल हेल्थकेयर, उन्नत विनिर्माण और स्वच्छ ऊर्जा सहित उच्च-प्रभाव वाली, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियां हैं।



आवश्यक परिभाषाएं

- **डीप-टेक (Deep-Tech):** व्यावहारिक इंजीनियरिंग नवाचारों या वैज्ञानिक खोजों पर आधारित उन्नत प्रौद्योगिकी क्षेत्र, जिन्हें व्यवसायीकरण से पहले महत्वपूर्ण अनुसंधान, विकास और लंबी पूंजी गर्भाधान अवधि (capital gestation periods) की आवश्यकता होती है।
- **हितों का टकराव (Conflict of Interest):** एक ऐसी स्थिति जहां किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत, वित्तीय या व्यावसायिक संबंध निर्णय लेने में उनके आधिकारिक निर्णय और निष्पक्षता को संभावित रूप से प्रभावित कर सकते हैं या प्रभावित करते हुए प्रतीत हो सकते हैं।
- **रिक्वूजल/खुद को अलग करना (Recusal):** हितों के संभावित टकराव के कारण किसी आधिकारिक कार्यवाही या पैनल में भाग लेने से निर्णयकर्ता द्वारा स्वयं को हटाने का स्वैच्छिक कार्य।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संवैधानिक सिद्धांत:**
 - **अनुच्छेद 14:** कानून के समक्ष समानता और प्रशासनिक कार्रवाइयों तथा सार्वजनिक संसाधनों के आवंटन में मनमानेपन के निषेध की गारंटी देता है (*रमना दयाराम शेट्टी बनाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया*)।
 - **अनुच्छेद 39(b) (डीपीएसपी):** राज्य की नीति को यह सुनिश्चित करने की ओर निर्देशित करता है कि भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित हो जिससे आम जनता का सर्वोत्तम भला हो सके।
- **वैधानिक शासन ढांचा:**
 - **अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) अधिनियम, 2023:** भारत के अकादमिक और औद्योगिक क्षेत्रों में आरएंडडी (R&D) को बीज रूप देने, विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए शीर्ष वैधानिक निकाय की स्थापना करता है।

- **सामान्य वित्तीय नियम (GFR), 2017:** केंद्र सरकार के अनुदान और ऋण वितरित करने में सार्वजनिक खरीद, वित्तीय औचित्य, पारदर्शिता और नैतिक मानकों को नियंत्रित करता है।

निष्कर्ष

हालांकि 1 लाख करोड़ रुपये का आरडीआई फंड स्वदेशी तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन यह विवाद चयन पैनलों पर उद्योग विशेषज्ञों का उपयोग करने और पूर्ण प्रशासनिक अखंडता सुनिश्चित करने के बीच नाजुक संतुलन को रेखांकित करता है। राज्य के नेतृत्व वाली नवाचार फंडिंग में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए मजबूत तृतीय-पक्ष निगरानी, अनिवार्य सार्वजनिक प्रकटीकरण लॉग और अंध मूल्यांकन (blind evaluation) प्रोटोकॉल लागू करना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II:** वैधानिक, नियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय (ANRF, TDB); शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही, सत्यनिष्ठा और सार्वजनिक धन का नैतिक प्रबंधन।
- **जीएस पेपर III:** विज्ञान और प्रौद्योगिकी—प्रौद्योगिकी के स्वदेशीकरण में विकास और अनुप्रयोग; आरएंडडी और रणनीतिक डीप-टेक क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी।

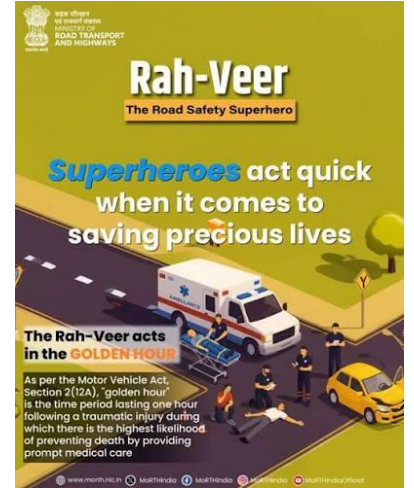
2. बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के बीच गुड समैरिटन (राह-वीर) योजना का कम उपयोग

प्रमुख बिंदु एवं सारांश

- **योजना का कम उपयोग:** संसद में प्रस्तुत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के आंकड़ों से पता चलता है कि सड़क दुर्घटनाएं बढ़ने के बावजूद पांच वर्षों (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) में राह-वीर योजना के तहत केवल 813 लोगों को सम्मानित किया गया।
- **भौगोलिक असमानता:** योजना को अपनाना 15 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों तक सीमित था; महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे प्रमुख उच्च-मृत्यु दर वाले राज्यों में शून्य लाभार्थी दर्ज किए गए, जबकि राजस्थान 224 पुरस्कार विजेताओं के साथ शीर्ष पर रहा, उसके बाद बिहार (95) का स्थान रहा।
- **मददगारों (Bystanders) की हिचकिचाहट:** योजना का अत्यधिक कम उपयोग पुलिस उत्पीड़न, संस्थागत कागजी कार्रवाई और न्यायिक अनुवर्ती कार्रवाइयों (judicial follow-ups) के संबंध में आम जनता की निरंतर आशंकाओं के कारण है।
- **ट्रॉमा मृत्यु दर पर प्रभाव:** नीति आयोग-एम्स (NITI Aayog-AIIMS) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में आघात (trauma) से जुड़ी लगभग 30% मौतें आपातकालीन चिकित्सा उपचार में देरी के कारण होती हैं।
- **प्रोत्साहन राशि में संशोधन:** MoRTH ने योजना को और पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया, पुरस्कार राशि को बढ़ाकर 25,000 रुपये (पहले 5,000 रुपये से अधिक) कर दिया और प्रति राज्य 25 लाख रुपये का प्रारंभिक अनुदान आवंटित किया।
- **शिकायत निवारण की कमी:** राज्यों को गुड समैरिटन शिकायत निवारण ढांचा स्थापित करने का निर्देश देने वाले 2016 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बावजूद, केवल दो उच्च-मृत्यु दर वाले राज्यों ने इसका पालन किया है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **गुड समैरिटन/नेक दिल मददगार (राह-वीर):** एक व्यक्ति जो बिना किसी भुगतान या देखभाल के कर्तव्य की उम्मीद के, स्वेच्छा से और अच्छे विश्वास के साथ मोटर वाहन दुर्घटना पीड़ित को तत्काल सहायता या चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है।
- **गोल्डन अवर (Golden Hour):** दर्दनाक चोट के तुरंत बाद का महत्वपूर्ण 60-मिनट का समय, जिस दौरान त्वरित चिकित्सा देखभाल मृत्यु को रोकने की उच्चतम संभावना प्रदान करती है।
- **बायस्टैंडर प्रभाव (Bystander Effect):** एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक घटना जहां संस्थागत जटिलताओं के डर से व्यक्ति आपातकालीन स्थितियों में पीड़ितों को मदद देने में विफल रहते हैं या हिचकिचाते हैं।



कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संवैधानिक अनिवार्यता:**
 - **अनुच्छेद 21:** जीवन के मौलिक अधिकार में दुर्घटना पीड़ितों के लिए समय पर चिकित्सा उपचार का अधिकार शामिल है (पं. परमानंद कटारा बनाम भारत संघ, 1989)।
 - **अनुच्छेद 38 (डीपीएसपी):** राज्य को लोक कल्याण को बढ़ावा देने और प्रभावी सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने वाली सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने का निर्देश देता है।
- **वैधानिक ढांचा:**
 - **मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 134A:** गुड समैरिटन को नागरिक या आपराधिक देयता, पहचान के अनिवार्य प्रकटीकरण या जबरन अस्पताल में रोके जाने से बचाती है।
- **न्यायिक निर्देश:** सर्वोच्च न्यायालय के फैसले (2016) ने गुड समैरिटन दिशानिर्देशों को मंजूरी दी और कानून प्रवर्तन द्वारा उत्पीड़न को रोकने के लिए शिकायत निवारण तंत्र को अनिवार्य किया।

निष्कर्ष

राह-वीर योजना के तहत कम भागीदारी को संबोधित करने के लिए वैधानिक संरक्षण और जमीनी स्तर पर पुलिस प्रथाओं के बीच कार्यान्वयन के अंतर को पाटने की आवश्यकता है। जिला मूल्यांकन समितियों को मजबूत करना, अधिकारों का प्रचार करना और मजबूत शिकायत तंत्र स्थापित करना गोल्डन अवर के दौरान समय पर हस्तक्षेप को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II:** कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं; सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप; कार्यान्वयन की चुनौतियां और संस्थागत जवाबदेही।
- **जीएस पेपर III:** बुनियादी ढांचा (सड़क परिवहन और सुरक्षा); आपदा प्रबंधन और आपातकालीन देखभाल प्रतिक्रिया तंत्र।

3. लोकतांत्रिक पुलिस सुधारों के लिए केरल की "माई पुलिस स्टेशन" पहल

प्रमुख बिंदु एवं सारांश

- **व्यापक सुधार की शुरुआत:** केरल सरकार ने सार्वजनिक पहुंच, जवाबदेही और लोकतांत्रिक पुलिसिंग को बढ़ाने के लिए 15 अगस्त को "माई पुलिस स्टेशन" परियोजना शुरू करने की घोषणा की।
- **स्टेशन हाउस अधिकारियों (SHOs) में बदलाव:** सर्किल इंस्पेक्टरों (CIs) को नियुक्त करने की पूर्व प्रथा को बदलते हुए, सब-इंस्पेक्टर (SIs) 484 कानून-व्यवस्था पुलिस स्टेशनों में से 419 में एसएचओ (SHO) के रूप में कार्यभार संभालेंगे।
- **लैंगिक समावेशिता:** महिला सब-इंस्पेक्टर राज्य भर के 63 पुलिस स्टेशनों में एसएचओ के रूप में संचालन का नेतृत्व करेंगी।
- **रणनीतिक कमान वितरण:** सीआई (CIs) 64 रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्टेशनों में एसएचओ बने रहेंगे, जबकि एक पुलिस उप उपाधीक्षक (DySP) मुल्लापेरियार बांध पुलिस स्टेशन का नेतृत्व करेंगे।
- **कस्टोडियल अपराधों का उन्मूलन:** संरचित ओरिएंटेशन प्रशिक्षण के माध्यम से थर्ड-डिग्री विधियों, हिरासत में हिंसा और हिरासत में मौतों का पूरी तरह से उन्मूलन करना एक मुख्य उद्देश्य है।
- **स्वतंत्र निगरानी तंत्र:** रेंज डीआईजी (DIGs) स्टेशनों से मासिक प्रतिक्रिया (feedback) एकत्र करेंगे, जिसकी देखरेख एडीजीपी (कानून और व्यवस्था) और राज्य पुलिस प्रमुख करेंगे।



आवश्यक परिभाषाएं

- **स्टेशन हाउस अधिकारी (SHO):** पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी जो कानून और व्यवस्था, अपराध पंजीकरण और स्थानीय प्रशासन की देखरेख के लिए जिम्मेदार होता है।
- **लोकतांत्रिक पुलिसिंग (Democratic Policing):** एक पुलिस शासन ढांचा जो पारदर्शिता, मानव अधिकारों की सुरक्षा, सामुदायिक भागीदारी और जनता के प्रति जवाबदेही पर जोर देता है।
- **हिरासत में हिंसा (Custodial Violence):** पुलिस हिरासत में रखे गए व्यक्तियों पर की जाने वाली अवैध शारीरिक या मानसिक यातना।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संवैधानिक आवंटन (सातवीं अनुसूची):**
 - सूची II (राज्य सूची), प्रविष्टि 1 और प्रविष्टि 2: राज्य विधानमंडलों को 'लोक व्यवस्था' और 'पुलिस' पर अनन्य शक्तियां प्रदान करती है।
- **मौलिक अधिकारों की सुरक्षा:**

- **अनुच्छेद 21:** जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जो कस्टोडियल हिंसा और अवैध हिरासत को सख्ती से प्रतिबंधित करता है (डी.के. बासु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य)।
- **अनुच्छेद 22:** गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा की गारंटी देता है, जिसमें कानूनी व्यवसायी से परामर्श करने का अधिकार भी शामिल है।
- **वैधानिक ढांचा:** गिरफ्तारी और हिरासत प्रोटोकॉल के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 के तहत वैधानिक प्रक्रियाओं के साथ-साथ राज्य पुलिस अधिनियमों द्वारा शासित।

निष्कर्ष

"माई पुलिस स्टेशन" पहल राज्य की पुलिसिंग को एक कमान बल से सामुदायिक सेवा में बदलने की दिशा में एक संरचनात्मक कदम का प्रतिनिधित्व करती है। कस्टोडियल दुर्व्यवहार के लिए सख्त निगरानी और शून्य-सहिष्णुता की नीतियों को शामिल करते हुए युवा अधिकारियों को सशक्त बनाना पुलिस जवाबदेही के लिए एक मजबूत मानक स्थापित करता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II:** कार्यपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली; शासन, पारदर्शिता, जवाबदेही और संस्थागत पुलिस सुधार।
- **जीएस पेपर IV:** मानव अधिकार, प्रशासन में नैतिकता, कस्टोडियल हिंसा पर अंकुश लगाना और सहानुभूतिपूर्ण सार्वजनिक सेवा वितरण को बढ़ावा देना।

4. बायोगैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने 23,731 करोड़ रुपये की 'गोबरधन' (GOBARdhan) योजना को मंजूरी दी

प्रमुख बिंदु एवं सारांश

- **परिव्यय और समयसीमा:** केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 वर्षों (2026-27 से 2035-36) के लिए 23,731 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ राष्ट्रीय सर्कुलर बायोएनर्जी योजना, 'गोबरधन' (GOBARdhan) को मंजूरी दी।
- **उत्पादन लक्ष्य:** इस योजना का लक्ष्य 2026 से 2036 के बीच घरेलू कंप्रेस्ड बायो-गैस (CBG) उत्पादन को लगभग 10 गुना बढ़ाना है, जिससे बड़े पैमाने पर निजी निवेश आकर्षित होगा।
- **आयात पर निर्भरता:** घरेलू सीबीजी (CBG) उत्पादन को बढ़ावा देने से भारत की आयात निर्भरता को कम करने में मदद मिलेगी, जो वर्तमान में देश की प्राकृतिक गैस मांग का लगभग आधा हिस्सा पूरा करती है, साथ ही यह होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) संकट जैसे आपूर्ति झटकों से भी सुरक्षा प्रदान करेगा।
- **अनिवार्य सम्मिश्रण (Blending) लक्ष्य:** सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) संस्थाएं पीएनजी (PNG) और सीएनजी (CNG) नेटवर्क में चरणबद्ध सीबीजी सम्मिश्रण दायित्वों को पूरा करेंगी: 2026-27 में 3%, 2027-28 में 4%, और 2028-29 से आगे 5%।

- **मूल्य निर्धारण और ऑफटेक सहायता:** उत्पादकों के लिए दीर्घकालिक राजस्व दृश्यता सुरक्षित करने के लिए 2,110 रुपये प्रति MMBTU का एक स्थिर प्रशासित सीबीजी मूल्य फ्लोर (administered price floor) और गारंटीकृत ऑफ-टेक ढांचा पेश किया गया है।
- **वित्तीय सहायता:** ग्रीनफील्ड सीबीजी परियोजनाओं को स्थापित क्षमता के प्रति टन प्रति दिन 2 करोड़ रुपये तक की पूंजीगत सहायता मिलेगी, जिसका विस्तार फीडस्टॉक एक्त्रीकरण संपत्तियों और जैविक खाद प्रसंस्करण तक किया जाएगा।

आवश्यक परिभाषाएं

- **कंप्रेस्ड बायो-गैस (CBG):** कृषि अवशेषों, मवेशियों के गोबर और जैविक कचरे से उत्पादित बायोगैस का शुद्ध और संपीड़ित रूप, जिसमें रासायनिक रूप से कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) के समकक्ष गुण होते हैं।
- **गोबरधन (GOBARdhan):** गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन (Galvanising Organic Bio-Agro Resources Dhan), कचरे को धन में बदलने और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन का समर्थन करने की एक राष्ट्रीय छत्र (umbrella) पहल।
- **ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट (Greenfield Project):** मौजूदा परिसंपत्तियों के बिना पूरी तरह से अविकसित भूमि पर निष्पादित एक नई औद्योगिक या बुनियादी ढांचा परियोजना।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संवैधानिक आवंटन (सातवीं अनुसूची):**
 - **सूची I (संघ सूची), प्रविष्टि 53:** तेल क्षेत्रों, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संसाधनों का नियमन और विकास।
 - **सूची II (राज्य सूची), प्रविष्टि 14 और प्रविष्टि 6:** कचरा प्रबंधन से संबंधित कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता।
- **राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत (DPSP):**
 - **अनुच्छेद 48A:** राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा करने का जनादेश देता है।
 - **अनुच्छेद 47:** राज्य को पोषण के स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का निर्देश देता है।
- **वैधानिक तालमेल:** जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति (2018) और नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नीतिगत छत्र के तहत संचालित होता है।

निष्कर्ष

गोबरधन पहल जैविक कचरे को उच्च मूल्य वाली स्वच्छ ऊर्जा और जैविक खाद में परिवर्तित करके सर्कुलर इकोनॉमी प्रथाओं की ओर एक निर्णायक बदलाव का प्रतीक है। दीर्घकालिक मूल्य निश्चितता और बुनियादी ढांचा सब्सिडी प्रदान करना भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को मजबूत करता है और ग्रामीण आर्थिक विकास का समर्थन करता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर III:** संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, क्षरण; नवीकरणीय ऊर्जा, सर्कुलर इकोनॉमी, कचरे से ऊर्जा (waste-to-energy) परिवर्तन, और ऊर्जा सुरक्षा।
- **जीएस पेपर II:** विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप तथा उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

5. एविएशन टर्बाइन फ्यूल में इथेनॉल सम्मिश्रण के दावों का खंडन: इथेनॉल और SAF के बीच अंतर

प्रमुख बिंदु एवं सारांश

- **आधिकारिक खंडन:** केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के साथ इथेनॉल मिलाने की सरकार की योजनाओं से संबंधित दावों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया, और इन दावों को झूठा तथा गैर-जिम्मेदाराना बताया।
- **तकनीकी अंतर:** मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इथेनॉल और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF) पूरी तरह से अलग स्वच्छ ईंधन हैं और सार्वजनिक या नीतिगत चर्चाओं में इन्हें एक साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए।
- **वैश्विक प्रमाणन मानक:** इस बात पर प्रकाश डाला गया कि एसएएफ (SAF) अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) द्वारा मान्यता प्राप्त और विश्व स्तर पर अपनाया गया एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित विमानन ईंधन है।
- **सख्त सुरक्षा परीक्षण:** इस बात पर जोर दिया गया कि विमान इंजन एकीकरण की मंजूरी से पहले एसएएफ कठोर परीक्षणों से गुजरता है और सख्त अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों को पूरा करता है।
- **गलत सूचनाओं को रोकना:** चेतावनी दी गई कि विमानन ईंधन सुरक्षा से संबंधित असत्यापित रिपोर्ट फैलाने से हवाई यात्रियों के बीच अनुचित चिंता पैदा होती है।
- **यात्री सुरक्षा प्राथमिकता:** पुष्टि की गई कि ऊर्जा संक्रमण के दौरान नागरिक उड्डयन मंत्रालय के लिए यात्री सुरक्षा और परिचालन अखंडता सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF):** बायोग्राफिक कचरे, कृषि अवशेषों या इस्तेमाल किए गए खाना पकाने के तेल से उत्पादित एक नवीकरणीय, ड्रॉप-इन विमानन ईंधन जो ICAO/ASTM विनिर्देशों के तहत पारंपरिक जेट ईंधन के साथ रासायनिक रूप से संगत है।
- **एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF):** विशेष रूप से विमान के गैस-टर्बाइन इंजनों को शक्ति प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया उच्च गुणवत्ता वाला, विशेष मिट्टी के तेल आधारित (kerosene-based) तरल ईंधन।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

• संवैधानिक आवंटन (सातवीं अनुसूची):

- सूची I (संघ सूची), प्रविष्टि 29: हवाई मार्गों, विमानों और हवाई नेविगेशन को नियंत्रित करती है, जो संसद को नागरिक उड्डयन सुरक्षा और ईंधन मानकीकरण पर अनन्य क्षेत्राधिकार प्रदान करती है।
- वैधानिक तंत्र: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) द्वारा लागू सुरक्षा और परिचालन अनुपालन के साथ, विमान अधिनियम, 1934 और विमान नियम, 1937 के तहत विनियमित।
- अंतरराष्ट्रीय नियामक अनुपालन: अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संधियों और ICAO द्वारा स्थापित अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के लिए कार्बन ऑफसेटिंग और रिडक्शन स्कीम (CORSIA) ढांचे के तहत संचालित होता है।

निष्कर्ष

नागरिक उड्डयन में सार्वजनिक विश्वास और परिचालन सुरक्षा को बनाए रखने के लिए कच्चे इथेनॉल और प्रमाणित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के बीच तकनीकी सीमा को स्पष्ट करना आवश्यक है। चूंकि भारत ICAO मानकों के तहत अंतरराष्ट्रीय डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों को नेविगेट करता है, वैश्विक प्रमाणन प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन यात्री सुरक्षा से समझौता किए बिना टिकाऊ विमानन प्रगति सुनिश्चित करता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- जीएस पेपर II: वैधानिक और नियामक निकाय (DGCA, MoCA); वैश्विक विमानन मानक तय करने में अंतरराष्ट्रीय संगठनों (ICAO) की भूमिका।
- जीएस पेपर III: विज्ञान और प्रौद्योगिकी—स्वच्छ ऊर्जा में विकास और अनुप्रयोग; पर्यावरणीय डीकार्बोनाइजेशन, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF), और बुनियादी ढांचा सुरक्षा प्रोटोकॉल।

6. कैग (CAG) ऑडिट ने पश्चिम बंगाल धान खरीद में अनियमितताओं को चिह्नित किया

प्रमुख बिंदु एवं सारांश

- परिवहन अनियमितताओं को चिह्नित किया गया: नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की एक ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि 2020-21 खरीफ विपणन सत्र के दौरान 4,200 क्विंटल से अधिक धान को एम्बुलेंस, यात्री ऑटो-रिक्शा, बसों और लक्जरी कैब के माध्यम से फर्जी तरीके से परिवहन किया गया दिखाया गया था।
- गैर-पंजीकृत और अप्राप्य वाहन: ऑडिट में पाया गया कि 4,211.89 क्विंटल धान के परिवहन में लगे 19 वाहन या तो सामान ढोने के लिए पंजीकृत नहीं थे या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के पोर्टल पर अप्राप्य (untraceable) थे।
- फर्जी/दोहरी खरीद प्रविष्टियां: सिंगूर, हुगली में एक केंद्रीय खरीद केंद्र पर, 10 व्यक्तियों के तहत 59 बार बार-बार प्रविष्टियां की गईं—जिसमें दो चावल मिलों के मालिक भी शामिल थे—जिनसे 44.94 लाख रुपये मूल्य का 2,568.13 क्विंटल धान खरीदा गया।

- **बैंक खातों का शोषण:** इसके बाद की पूछताछ में 3,893.71 किंटल से जुड़ी 97 अतिरिक्त फर्जी प्रविष्टियों का पर्दाफाश हुआ, जहां व्यक्तियों ने वास्तव में कोई धान बेचे बिना मिल मालिकों के साथ बैंक विवरण साझा किए थे।
- **हल्का जुर्माना और बार-बार भागीदारी:** यद्यपि दोषी मिलों पर कुल 52.32 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था, फिर भी उन्हें केवल वचन पत्र (undertakings) प्रस्तुत करके आगामी खरीद सत्रों में भाग लेने की अनुमति दी गई थी।
- **छोटे किसानों को वंचित करना:** कैग ने नोट किया कि फर्जी खरीद और राइस मिलों की सांठगांठ ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तंत्र को कमजोर कर दिया, जिससे छोटे और सीमांत किसान इच्छित वित्तीय लाभों से वंचित हो गए।



आवश्यक परिभाषाएं

- **खरीफ विपणन सत्र (KMS):** वह वार्षिक अवधि जिसके दौरान सरकार घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से मानसून में बोई जाने वाली फसलों (जैसे धान) की खरीद करती है।
- **कस्टम मिल्ड राइस (CMR):** राज्य एजेंसियों द्वारा खरीदा गया और केंद्रीय पूल या पीडीएस (PDS) वितरण नेटवर्क को आपूर्ति किए जाने से पहले प्रसंस्करण के लिए निजी चावल मिलों को दिया गया धान।
- **केंद्रीय खरीद केंद्र (CPC):** पंजीकृत किसानों से सीधे कृषि उपज की खरीद के लिए ब्लॉक स्तर पर स्थापित नामित राज्य-संचालित सुविधा।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संवैधानिक क्षेत्र:**
 - **अनुच्छेद 148 से 151:** राज्यपाल को अनुपालन रिपोर्ट सौंपते हुए, भारत और राज्यों की समेकित निधि से सभी व्यय का ऑडिट करने के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की स्थापना करता है।
 - **अनुच्छेद 21:** इसमें भोजन का अधिकार और खाद्य सुरक्षा शामिल है, जो कल्याणकारी खरीद योजनाओं में भ्रष्ट रिसाव से सीधे प्रभावित होती है।
- **वैधानिक तंत्र:**
 - **कैग (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971:** कैग को राज्य के विभागों और एजेंसियों के खातों, खरीद रिकॉर्ड और वित्तीय औचित्य का निरीक्षण करने का अधिकार देता है।
 - **अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955:** जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए आवश्यक खाद्यान्न के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करता है।
 - **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013:** पात्र परिवारों को सब्सिडी वाले अनाज की पारदर्शी, रिसाव-मुक्त खरीद और वितरण को अनिवार्य करता है।

निष्कर्ष

ऑडिट निष्कर्ष राज्य की धान खरीद प्रणालियों में महत्वपूर्ण शासन अंतराल, सॉफ्टवेयर खामियों और सांठगांठ को उजागर करते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणालियों में अखंडता बहाल करने और किसान कल्याण की रक्षा के लिए

मजबूत डिजिटल प्रमाणीकरण, सख्त वाहन सत्यापन और दोषी मिल मालिकों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करना आवश्यक है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- जीएस पेपर II:** संवैधानिक निकाय (कैग के कर्तव्य और शक्तियां); पारदर्शिता और जवाबदेही, संस्थागत भ्रष्टाचार, और कल्याणकारी वितरण में शासन की विफलताएं।
- जीएस पेपर III:** प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से संबंधित मुद्दे; सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के उद्देश्य, सीमाएं और परिचालन सुधार।

7. एससी/एसटी क्रीमी लेयर अपवर्जन पर संसदीय अधिकार: सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र का रुख

प्रमुख बिंदु एवं सारांश

- अनन्य विधायी विशेषाधिकार:** सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर एक जवाबी हलफनामे में, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने पुष्टि की कि अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) तक 'क्रीमी लेयर' सिद्धांत का विस्तार करना संसद के अनन्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
- शक्तियों का पृथक्करण:** केंद्र ने संस्थागत शक्तियों के पृथक्करण का हवाला देते हुए न्यायपालिका से आग्रह किया कि वह अनुभवजन्य डेटा (empirical data) या स्पष्ट विधायी जनादेश के बिना आय-आधारित उप-कोटा पर नीतियां बनाने के लिए कार्यपालिका को निर्देशित करने से बचे।
- ऐतिहासिक और सामाजिक मानदंड:** सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि एससी (SCs) और एसटी (STs) के लिए आरक्षण विशुद्ध रूप से आर्थिक स्थिति के बजाय ऐतिहासिक पिछड़ेपन, अस्पृश्यता और भौगोलिक अलगाव पर आधारित है।
- क्रीमी लेयर की अप्रयोज्यता:** *अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ (2008)* में संविधान पीठ के फैसले का हवाला देते हुए, हलफनामे में तर्क दिया गया कि क्रीमी लेयर की अवधारणा विशेष रूप से ओबीसी (OBC) आरक्षण के लिए विकसित की गई थी और यह एससी/एसटी पर लागू नहीं होती है।
- परमादेश (Mandamus) की अप्रयोज्यता:** सकारात्मक कार्रवाई (affirmative action) नीतियों में किसी भी संशोधन से पहले न्यायिक निर्देशों के बजाय समग्र समीक्षा और सामाजिक-आर्थिक अनुभवजन्य अध्ययन होना आवश्यक है।
- पूर्वाग्रह/नजीर का समर्थन:** केंद्र ने *ई.वी. चित्रैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2005)* का संदर्भ दिया, जिसमें इस बात पर बल दिया गया कि अनुच्छेद 341 और 342 के तहत राष्ट्रपति की सूचियों को बदलने का अधिकार केवल संसद के पास है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **क्रीमी लेयर सिद्धांत (Creamy Layer Principle):** एक आर्थिक मापदंड-आधारित सीमा जिसका उपयोग पिछड़े वर्गों के भीतर सामाजिक रूप से उन्नत या समृद्ध व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने से बाहर करने के लिए किया जाता है।
- **उप-वर्गीकरण (Sub-Classification):** सबसे वंचित उम्मीदवारों के बीच कोटा लाभों का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक आरक्षित श्रेणी को छोटे उप-समूहों में विभाजित करना।
- **अनुभवजन्य डेटा (Empirical Data):** प्रशासनिक नीतियों या आरक्षण समायोजन को सिद्ध करने के लिए आवश्यक व्यवस्थित रूप से एकत्र किए गए गुणात्मक और मात्रात्मक सामाजिक-आर्थिक साक्ष्य।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संवैधानिक आवंटन:**
 - **अनुच्छेद 341(2) और 342(2):** एससी और एसटी की राष्ट्रपति अधिसूचना सूची में किसी भी जाति, नस्ल या जनजाति को शामिल करने या बाहर करने के लिए कानून बनाने का एकमात्र अधिकार संसद को प्रदान करता है।
 - **अनुच्छेद 16(4) और 16(4A):** राज्य को अपर्याप्त प्रतिनिधित्व वाले पिछड़े वर्गों के लिए नियुक्तियों और पदोन्नति में आरक्षण के प्रावधान करने का अधिकार देता है।
- **न्यायिक नज़ीर (Precedents):**
 - **इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ (1992):** ऐतिहासिक भेदभाव के कारण एससी/एसटी को अलग रखते हुए विशेष रूप से ओबीसी आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर सिद्धांत की स्थापना की।
 - **अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ (2008):** पुष्टि की गई कि क्रीमी लेयर अपवर्जन को स्वचालित रूप से एससी/एसटी श्रेणियों तक नहीं बढ़ाया जा सकता है।
 - **पंजाब राज्य बनाम देविंदर सिंह (2024):** स्वचालित क्रीमी लेयर अपवर्जन के बराबर किए बिना न्यायसंगत पहुंच के लिए एससी/एसटी को उप-वर्गीकृत करने की राज्य की क्षमता को मान्यता दी।

निष्कर्ष

सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष केंद्र का रुख इस सिद्धांत को मजबूत करता है कि आरक्षण संरचनाओं में मौलिक बदलावों के लिए विधायी विचार-विमर्श और अनुभवजन्य समर्थन की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 341 के तहत संसद की वैधानिक क्षमता की रक्षा करना संवैधानिक शक्तियों के पृथक्करण के साथ सकारात्मक कार्रवाई को संतुलित करता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II:** भारतीय संविधान—महत्वपूर्ण प्रावधान, बुनियादी ढांचा सिद्धांत, विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण; वैधानिक और संवैधानिक निकाय; कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और परिचालन ढांचा।

8. हिमाचल प्रदेश पुलिस में संस्थागत कलह और प्रशासनिक शासन के मुद्दे

प्रमुख बिंदु एवं सारांश

- **वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के बीच सार्वजनिक विवाद:** हिमाचल प्रदेश के शीर्ष पुलिस अधिकारियों के बीच बढ़ता विवाद—जिसमें कार्यवाहक डीजीपी अशोक तिवारी, डीआईजी संजीव गांधी और शिमला एसपी गौरव सिंह शामिल हैं—आधिकारिक बंगले को अपने पास रखने से शुरू हुआ और परस्पर आरोपों में बदल गया।
- **विशेष वित्तीय ऑडिट के आदेश:** सरकारी आवास खाली करने में देरी के बाद, डीजीपी ने 2022 और 2025 के बीच नामित आवास पर रखरखाव कार्यों पर खर्च किए गए 14.07 लाख रुपये का ऑडिट करने के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया।
- **फंड के दुरुपयोग के आरोप:** ऑडिट में इस बात की जांच की गई कि क्या जिला पुलिस आवासीय खातों और सड़क सुरक्षा रखरखाव के लिए निर्धारित धन को आवासीय रखरखाव की ओर मोड़ दिया गया था।
- **सड़क सुरक्षा खरीद पर जवाबी आरोप:** डीआईजी संजीव गांधी ने एचपी सड़क सुरक्षा कोष (HP Road Safety Fund) के तहत वित्त पोषित उपकरण खरीद में प्रक्रियात्मक अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए एक रिपोर्ट सौंपी।
- **आंतरिक विवादों का सार्वजनिक होना:** इस विवाद के बढ़ने से पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों और प्रशासनिक प्रमुखों को आंतरिक अनुशासन, कमान संरचना और संस्थागत अधिकार के पतन पर सार्वजनिक रूप से चिंता व्यक्त करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
- **सरकारी हस्तक्षेप और अनुशासनात्मक कार्रवाई:** गृह विभाग ने सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन को नोट किया, और इस बात पर जोर दिया कि सुरक्षा नेतृत्व के बीच सार्वजनिक झगड़ा प्रशासनिक संकट के दौरान जनता के विश्वास को गंभीर रूप से कमजोर करता है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **कमान संरचना (Command Structure):** सशस्त्र बलों या पुलिस इकाइयों के भीतर अधिकार और जिम्मेदारी की पदानुक्रमित रेखा जो एकीकृत नियंत्रण, परिचालन अनुशासन और स्पष्ट प्रतिनिधिमंडल सुनिश्चित करती है।
- **विशेष ऑडिट (Special Audit):** नियमित वार्षिक ऑडिट के दायरे से बाहर वित्तीय रिकॉर्ड, व्यय स्रोतों और प्रक्रियात्मक अनुपालन की एक केंद्रित, लक्षित जांच।
- **सरकारी आवास आवंटन नियम (Allotment of Government Residences Rules):** सरकारी कर्मचारियों को आवंटित आधिकारिक आवासों के लिए पात्रता, स्वीकृति, कब्जे की अवधि और बेदखली की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाला ढांचा।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संवैधानिक क्षेत्र:**
 - **अनुच्छेद 312:** अखिल भारतीय सेवाओं (आईपीएस सहित) की स्थापना करता है, जो राष्ट्रीय मानकों, प्रशासनिक अखंडता और पेशेवर अनुशासन को बनाए रखता है।
 - **सूची II (राज्य सूची), प्रविष्टि 2:** राज्य सरकारों को पुलिस संचालन, अनुशासनात्मक नियंत्रण और स्थानीय प्रशासन पर अधिकार क्षेत्र प्रदान करती है।

• वैधानिक और आचरण ढांचा:

- **अखिल भारतीय सेवाएं (आचरण) नियम, 1968:** अधिकारियों को सार्वजनिक विवाद, अनधिकृत प्रेस संचार, या अनुशासनहीनता में शामिल होने से सख्ती से रोकता है।
- **पुलिस अधिनियम, 1861 / राज्य पुलिस अधिनियम:** सख्त आंतरिक शासन, कमान की श्रृंखला, और कर्तव्य की उपेक्षा या अनुशासनहीनता के लिए दंड लागू करता है।

• पुलिस सुधारों पर न्यायिक निर्देश:

- **प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (2006):** पुलिस जवाबदेही की देखरेख करने और प्रशासनिक घर्षण को कम करने के लिए राज्य सुरक्षा आयोग (SSC) और पुलिस शिकायत प्राधिकरण (PCA) की स्थापना को अनिवार्य किया।

निष्कर्ष

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के बीच सार्वजनिक विवाद संस्थागत विश्वसनीयता, परिचालन दक्षता और कमान की श्रृंखला को कमजोर करते हैं। सेवा आचरण नियमों, पारदर्शी आवास आवंटन नीतियां और स्वतंत्र ऑडिट तंत्र के माध्यम से प्रशासनिक अनुशासन बनाए रखना कानून प्रवर्तन अधिकारियों में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II:** लोकतंत्र में नागरिक सेवाओं की भूमिका; सरकारी नीतियां और प्रशासनिक जवाबदेही; संस्थागत पुलिस सुधार और शासन की अखंडता।
- **जीएस पेपर IV:** लोक प्रशासन में नैतिकता, व्यावसायिक आचरण, संस्थागत अनुशासन और वरिष्ठ लोक सेवकों के बीच नैतिक नेतृत्व।

9. हथकरघा क्षेत्र: भारत के वैश्विक विकास और आर्थिक विकास में विरासत को पिरोना

Dream | Dare | Deliver

प्रमुख बिंदु एवं सारांश

- **राष्ट्रीय हथकरघा दिवस:** भारत स्वदेशी कारीगरी को बढ़ावा देने के लिए 1905 में इस तिथि को शुरू किए गए स्वदेशी आंदोलन के उपलक्ष्य में 7 अगस्त को 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाता है।
- **आजीविका और महिला सशक्तिकरण:** हथकरघा भारत का सबसे बड़ा कुटीर उद्योग है, जो 35 लाख से अधिक बुनकरों और संबद्ध श्रमिकों को आजीविका प्रदान करता है, जिनमें से लगभग 72% महिलाएं हैं, जो ग्रामीण महिला-नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाती हैं।
- **नीतिगत परिवर्तन:** प्रमुख पहलों में कच्चा माल आपूर्ति योजना, 797 हथकरघा क्लस्टर, 1.24 लाख उन्नत करघे, हैंडloom मार्क, 'इंडिया हैंडमेड' प्रमाणन और 29 बुनकर सेवा केंद्र शामिल हैं।
- **राष्ट्रीय हथकरघा और हस्तशिल्प कार्यक्रम:** वैश्विक स्तर पर "हैंडमेड इन इंडिया" को स्थापित करने के लिए 500 से अधिक जिलों के 1,800 क्लस्टरों को लक्षित करने वाली आगामी प्रमुख योजना, जिससे 65 लाख कारीगरों को लाभ होगा।

- **तकनीकी एकीकरण (हथकरघा 4.0):** 100 करघों में एआई (AI) और डिजिटल टूल्स को शामिल करने वाली पायलट परियोजना, जिसके साथ मांग पूर्वानुमान और हथकरघा उत्पादों को प्रमाणित करने के लिए VisionNXT जैसे उपकरण शामिल हैं।
- **आय का लक्ष्य:** बुनकरों को प्रति माह 50,000 रुपये का महत्वाकांक्षी आय लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करने के लिए मूल्य संवर्धन (value addition), प्रीमियम रेशम, प्राकृतिक रेशे और सीधी बाजार पहुंच पर ध्यान केंद्रित करता है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **हथकरघा (Handloom):** बुने हुए वस्त्रों का उत्पादन करने के लिए ताना (warp) और बाना (weft) के धागों को आपस में जोड़ने हेतु विद्युत शक्ति की सहायता के बिना मैन्युअल रूप से संचालित कोई भी करघा।
- **भौगोलिक संकेतक (GI):** एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति वाले उत्पादों पर उपयोग किया जाने वाला एक चिन्ह, जिसमें उस स्थान के कारण गुण, प्रतिष्ठा या विशेषताएं होती हैं (जैसे, बनारसी सिल्क, कांजीवरम, पोचमपल्ली इकत)।
- **हथकरघा 4.0 (Handloom 4.0):** मानवीय कारीगरी को बदले बिना उत्पादकता बढ़ाने के लिए हथकरघा उत्पादन प्रक्रियाओं में डिजिटल प्रौद्योगिकियों, एआई निगरानी और एगोर्नॉमिक करघा डिजाइन का एकीकरण।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संवैधानिक आवंटन:**
 - **अनुच्छेद 43 (डीपीएसपी):** राज्य को ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करने का निर्देश देता है।
 - **अनुच्छेद 51A(f):** भारत की सामासिक संस्कृति की समृद्ध विरासत का मूल्य समझने और उसे संरक्षित करने का प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य।
 - **सातवीं अनुसूची (राज्य सूची, प्रविष्टि 24 / समवर्ती सूची, प्रविष्टि 20):** उद्योगों, आर्थिक विकास और सामाजिक योजना को नियंत्रित करने वाले प्रावधान।
- **वैधानिक ढांचा:**
 - **हथकरघा (उत्पादन के लिए वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985:** विशेष रूप से हथकरघा उत्पादन के लिए विशिष्ट कपड़ा वस्तुओं को आरक्षित करके पारंपरिक हथकरघा बुनकरों की रक्षा करता है।
 - **माल का भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999:** क्षेत्र-विशिष्ट पारंपरिक हथकरघा शिल्पों के लिए बौद्धिक संपदा संरक्षण सुरक्षित करता है।

निष्कर्ष

हथकरघा क्षेत्र भारत की सभ्यतागत विरासत को संरक्षित करने और उसकी आधुनिक निर्यात अर्थव्यवस्था का विस्तार करने के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। तकनीक, पूंजीगत सहायता और ब्रांड प्रमाणन के साथ पारंपरिक कारीगरी को जोड़कर, भारत हथकरघा को ग्रामीण समृद्धि और वैश्विक सांस्कृतिक पहचान के एक स्थायी इंजन में बदल सकता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II:** ग्रामीण विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप; कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और महिला सशक्तिकरण।
- **जीएस पेपर III:** भारतीय अर्थव्यवस्था, कुटीर उद्योग, रोजगार सृजन, समावेशी विकास और बौद्धिक संपदा अधिकार (जीआई टैग)।

10. आरबीआई (RBI) नीतिगत रुख: मुद्रास्फीति के जोखिमों के खिलाफ वृद्धि प्राथमिकताओं का संतुलन

प्रमुख बिंदु एवं सारांश

- **यथास्थिति नीतिगत दरें:** भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने आपूर्ति पक्ष के जोखिमों के बावजूद अधिक नरम (dovish) रुख अपनाते हुए नीतिगत दरों को अपरिवर्तित रखा और अपने तटस्थ रुख को बनाए रखा।
- **हेडलाइन बनाम कोर मुद्रास्फीति:** उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित मुद्रास्फीति जून में बढ़कर 4.4% हो गई, जो मुख्य रूप से खाद्य और ईंधन की लागत से प्रेरित थी, जबकि कोर मुद्रास्फीति (खाद्य और ईंधन को छोड़कर) और मांग-पक्ष की मुद्रास्फीति 2.4% पर कम बनी रही।
- **विकास दर अनुमान में संशोधन:** पश्चिम एशिया के तनाव और टैरिफ खतरों के बीच आर्थिक लचीलेपन का प्रदर्शन करते हुए, आरबीआई ने मजबूत आईआईपी (IIP), सेवाओं और ऋण वृद्धि के समर्थन से भारत के वित्त वर्ष 2027 के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया।
- **निर्यात गति में उछाल:** गैर-पेट्रोलियम वृद्धि (13%) के साथ-साथ मजबूत सेवा निर्यात और स्वस्थ प्रेषण (remittance) प्रवाह के समर्थन से वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 16% की वृद्धि हुई।
- **प्रबंधनीय चालू खाता घाटा:** चालू खाता घाटा (CAD) वित्त वर्ष 2027 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के आरामदायक 1% पर अनुमानित है, जिसमें एफसीएनआर (FCNR) जमा और एफआईआई (FII) निवेश के माध्यम से पूंजी का प्रवाह भुगतान संतुलन (Balance of Payments) को स्थिर कर रहा है।

- **डेटा-आधारित दृष्टिकोण:** केंद्रीय बैंक वृद्धि-समर्थक तरलता बनाए रखता है, और खाद्य-संचालित आपूर्ति-पक्ष के मूल्य दबावों को तब तक अस्थायी मानता है जब तक कि मुद्रास्फीति व्यापक आधार वाली न हो जाए।

आवश्यक परिभाषाएं

- **कोर मुद्रास्फीति (Core Inflation):** मुद्रास्फीति का एक माप जो दीर्घकालिक अंतर्निहित प्रवृत्ति मुद्रास्फीति को दर्शाने के लिए खाद्य और ऊर्जा कीमतों जैसी अस्थिर वस्तुओं को बाहर करता है।
- **चालू खाता घाटा (Current Account Deficit - CAD):** किसी देश के व्यापार का एक माप जहां आयातित वस्तुओं, सेवाओं और हस्तांतरण का मूल्य निर्यात की गई वस्तुओं के मूल्य से अधिक होता है।
- **विदेशी मुद्रा अनिवासी (FCNR) जमा:** गैर-निवासी भारतीयों के लिए भारतीय बैंकों में विदेशी मुद्रा में धन रखने के लिए उपलब्ध एक विदेशी मुद्रा-मूल्यवर्ग की बैंक जमा योजना।



कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **वैधानिक ढांचा:**
 - **भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934:** धारा 45ZB मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत दर निर्धारित करने हेतु छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) के गठन का प्रावधान करती है।
 - **लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यांकन (Flexible Inflation Targeting - FIT):** आरबीआई अधिनियम की धारा 45ZA के तहत अनिवार्य, $\pm 2\%$ के सहनशीलता बैंड के साथ सीपीआई (CPI) मुद्रास्फीति लक्ष्य को 4% पर तय करता है।
- **संवैधानिक आवंटन:**
 - **सातवीं अनुसूची (संघ सूची, प्रविष्टि 36 और प्रविष्टि 38):** संसद को मुद्रा, सिक्का निर्माण, कानूनी निविदा, विदेशी मुद्रा और बैंकिंग विनियमन पर अधिकार क्षेत्र प्रदान करती है।

निष्कर्ष

आरबीआई का नीतिगत विकल्प आर्थिक वृद्धि को प्राथमिकता देने के साथ-साथ अस्थायी आपूर्ति-पक्षीय मुद्रास्फीति के झटकों की निगरानी करते हुए एक विचारशील संतुलन को दर्शाता है। बाहरी क्षेत्र के लचीलेपन को मजबूत करना और राजकोषीय-मौद्रिक समन्वय बनाए रखना वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों के खिलाफ समष्टि आर्थिक (macroeconomic) स्थिरता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर III:** भारतीय अर्थव्यवस्था—योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे; मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति प्रबंधन, आरबीआई ढांचा और भुगतान संतुलन।

11. नवाचार का बीजिंग मॉडल: राज्य के नेतृत्व वाली तकनीकी प्रगति और औद्योगिक तालमेल

प्रमुख बिंदु एवं सारांश

- **ट्रिपल-हेलिक्स एकीकरण (Triple-Helix Integration):** बीजिंग का नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र प्रारंभिक चरण के अनुसंधान का व्यवसायीकरण करने के लिए अनुसंधान विश्वविद्यालयों (जैसे, पेकिंग और सिंगुआ), स्टार्टअप्स, उद्योग के नेताओं और राज्य को एकीकृत करता है।
- **'मौत की घाटी' (Valley of Death) को पार करना:** आविष्कारों को प्रयोगशालाओं से वाणिज्यिक बाजारों में ले जाने के लिए, बीजिंग जोखिम को कम करने हेतु राज्य समर्थित प्रौद्योगिकी प्रबंधकों और व्यवसायीकरण प्लेटफार्मों का उपयोग करता है।
- **धैर्यवान पूंजीपति (Patient Capitalist) के रूप में राज्य:** सरकार एक प्रत्यक्ष निवेशक के रूप में कार्य करती है, जो दीर्घकालिक पूंजी के साथ हस्तक्षेप करती है और बाजार के नुकसान को सहन करने के लिए सीधे इक्विटी शेयर लेती है, जिससे निजी उद्यम पूंजी (venture capital) बच सकती है।
- **एआई और ह्यूमनॉइड्स में अत्याधुनिक ध्यान:** मध्यगुआनकुन (Zhongguancun) और यिजुआंग (Yizhuang) जैसे नवाचार केंद्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एम्बॉodied AI, और ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स में बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए पूर्ण आपूर्ति श्रृंखला बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- **हब-एंड-स्पोक औद्योगिक क्लस्टर:** विशेष राज्य समर्थित नवाचार केंद्र बड़े पैमाने पर उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रतिभा, भूमि और नीतिगत सब्सिडी को आसपास के निजी उद्यम क्लस्टरों तक पहुंचाते हैं।
- **व्यय पर नियामक निगरानी:** प्रतिस्पर्धी क्षेत्रीय क्लस्टरों में वित्तीय अक्षमताओं और स्थानीय सरकार के अत्यधिक व्यय को कम करने के लिए, चीनी नियामक राज्य समर्थित फंड आवंटन पर निगरानी को सख्त कर रहे हैं।



आवश्यक परिभाषाएं

- **मौत की घाटी (Valley of Death):** प्रारंभिक चरण के वैज्ञानिक अनुसंधान/अवधारणा के प्रमाण (proof-of-concept) और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बाजार उत्पादों में इसके परिवर्तन के बीच का महत्वपूर्ण अंतर।
- **धैर्यवान पूंजी (Patient Capital):** दीर्घकालिक पूंजी निवेश जहां निवेशक पर्याप्त, दीर्घकालिक तकनीकी विकास के पक्ष में अल्पकालिक रिटर्न छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं।
- **एम्बॉodied एआई (Embodied AI):** भौतिक संस्थाओं (जैसे ह्यूमनॉइड रोबोट) के भीतर एकीकृत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जो भौतिक वातावरण को समझने, उनके साथ बातचीत करने और नेविगेट करने में सक्षम हैं।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (तुलना के लिए भारत का संदर्भ)

• संवैधानिक आवंटन:

- सातवीं अनुसूची (संघ सूची, प्रविष्टि 63, 64 और 65): राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, वैज्ञानिक या तकनीकी शिक्षा संस्थानों और अनुसंधान प्रोत्साहन को नियंत्रित करती है।
- अनुच्छेद 51A(h): वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करने के भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को स्थापित करता है।

• राष्ट्रीय नीति ढांचे:

- राष्ट्रीय डीप टेक स्टार्टअप नीति (NDTSP): भारत का नीतिगत ढांचा जिसे आरएंडडी (R&D) को बढ़ावा देने, आईपी (IP) की रक्षा करने और डीप-टेक उद्यमों के लिए व्यवसायीकरण के अंतर को पाटने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) अधिनियम, 2023: भारत के विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में आरएंडडी को बढ़ावा देने, विकसित करने और पोषित करने के लिए स्थापित वैधानिक निकाय।

निष्कर्ष

बीजिंग का नवाचार मॉडल यह दर्शाता है कि कैसे सक्रिय राज्य का हस्तक्षेप, धैर्यवान पूंजी और रणनीतिक क्लस्टर विकास अनुसंधान व्यवसायीकरण के अंतर को पाट सकते हैं। वित्तीय जवाबदेही के साथ राज्य के वित्तपोषण को संतुलित करना प्रतिस्पर्धी उच्च तकनीक उद्योगों का निर्माण करने वाली उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण सबक प्रदान करता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- जीएस पेपर II: विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप; आरएंडडी प्रोत्साहन के लिए तुलनात्मक शासन मॉडल।
- जीएस पेपर III: विज्ञान और प्रौद्योगिकी—दैनिक जीवन में विकास और उनके अनुप्रयोग; प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और डीप-टेक नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण।

12. रामसर आर्द्रभूमि (Wetland) स्थलों के पास खनन गतिविधियों पर सर्वोच्च

न्यायालय के आदेश का प्रभाव

प्रमुख बिंदु एवं सारांश

- बफर नियमों पर राष्ट्रीय समानता: सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उसका फरवरी 2024 का आदेश—जिसमें असम आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व के 10 किमी के भीतर खनन के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) या MoEFCC से पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता थी—भारत भर के सभी समान रूप से अधिसूचित आर्द्रभूमि और सामुदायिक रिजर्व पर लागू होता है।

- **रामसर स्थलों के लिए न्यायिक सुरक्षा:** हालांकि घरेलू कानूनों में रामसर स्थलों के आसपास स्पष्ट वैधानिक बफर जोन का अभाव है, अदालत ने नोट किया कि अंतरराष्ट्रीय पारिस्थितिक महत्व उनके पारिस्थितिक चरित्र को संरक्षित करने के लिए गहन जांच का औचित्य साबित करता है।
- **असन आर्द्रभूमि मामले का संदर्भ:** यह स्पष्टीकरण हिमाचल प्रदेश की एक याचिका से उत्पन्न हुआ है जिसमें राज्य की सीमाओं के पार असन आदेश के आवेदन पर सवाल उठाया गया था, जिसने अदालत को MoEFCC/NBWL को यह आकलन करने का निर्देश देने के लिए प्रेरित किया कि क्या असन आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र हिमाचल प्रदेश तक फैला हुआ है।
- **रामसर सूची में मील का पत्थर:** ग्लॉ झील (अरुणाचल प्रदेश का पहला रामसर स्थल) के जुड़ने के साथ भारत के रामसर स्थल 101 तक पहुंच गए, जिससे भारत एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थलों वाला देश बन गया।
- **2017 के नियमों के तहत नियामक बदलाव:** आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 ने राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकारों को विनियमन का विकेंद्रीकरण किया, लेकिन 2010 के नियमों के तहत पाई जाने वाली स्पष्ट निषेध सूची को हटा दिया, एक ऐसा ढांचा जो वर्तमान में शीर्ष अदालत में संवैधानिक चुनौती के अधीन है।
- **भिन्न खनन मानदंड:** राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के भीतर अनिवार्य 1 किमी इको-सेंसिटिव जोन (ESZ) बफर के साथ पूर्ण खनन निषेध मौजूद है, जबकि आर्द्रभूमि के पास खनन में पहले समान वैधानिक बफर दूरी का अभाव था।



आवश्यक परिभाषाएं

- **रामसर स्थल (Ramsar Site):** जल संसाधनों के संरक्षण और समझदारी से उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स (1971) के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व के रूप में नामित एक आर्द्रभूमि।
- **संरक्षण रिजर्व (Conservation Reserve):** वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत परिदृश्य, वनस्पति, जीव और उनके आवासों की सुरक्षा के लिए घोषित, विशेष रूप से राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों से सटे क्षेत्र।
- **इको-सेंसिटिव जोन (ESZ):** पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत संरक्षित क्षेत्रों के आसपास नामित एक संक्रमण क्षेत्र, जिसका उद्देश्य झटकों को सोखना (shock absorber) और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले औद्योगिक संचालन को प्रतिबंधित करना है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संवैधानिक निर्देश:**
 - **अनुच्छेद 48A (डीपीएसपी):** राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा करने का निर्देश देता है।
 - **अनुच्छेद 51A(g):** प्रत्येक नागरिक को वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का जनादेश देता है।
- **वैधानिक और नियामक व्यवस्था:**

- **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972:** संरक्षित क्षेत्रों को नियंत्रित करता है और एनबीडब्ल्यूएल (NBWL) की स्थायी समिति को वन्यजीव आवासों को प्रभावित करने वाली परियोजनाओं की समीक्षा करने का अधिकार देता है।
- **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986:** आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017, और पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना, 2006 को नियंत्रित करता है।
- **वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980:** गैर-वन खनन उद्देश्यों के लिए वन भूमि को मोड़ने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी अनिवार्य करता है।

निष्कर्ष

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आर्द्रभूमि भंडार के लिए समान न्यायिक सुरक्षा स्थापित करके एक महत्वपूर्ण नियामक खामी को पाटता है। कड़े पर्यावरण मंजूरी प्रक्रियाओं के साथ आर्थिक संसाधन निष्कर्षण का सामंजस्य स्थापित करना पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील जलीय पारिस्थितिक तंत्र की पारिस्थितिक अखंडता सुनिश्चित करता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II:** पर्यावरण शासन में न्यायिक हस्तक्षेप; वैधानिक निकाय (NBWL, राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण); पर्यावरण संरक्षण के संबंध में संवैधानिक प्रावधान।
- **जीएस पेपर III:** पर्यावरण और पारिस्थितिकी—संरक्षण, पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA), जैव विविधता संरक्षण, और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (रामसर सम्मेलन)।

